प्रेस नोट **13/04/2024**

गायब/खोए हुए मोबाइलफोन पाकर लोगों के खिले चेहरे, साइबर सेल द्वारा 71 मोबाइलफोन (लगभग 12 लाख रूपये कीमती) को बरामद कर फोन स्वामियों को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के तथा क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन परिसर में स्थित साइबर क्राइम थाना द्वारा लगातार प्रयास करते हुए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त मोबाइल फोन गुमशुदगी के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण करते हुए कुल 12 लाख रूपये कीमती 71 अदद मोबाइलफोन को बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक मऊ के समक्ष जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायब/खोए हुए मोबाइल फोन के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गायब हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु गम्भीरतापूर्वक प्रयास करने हेतु साइबर क्राइम थाना को निर्देशित किया गया था। इस क्रम में साइबर क्राइम थाना द्वारा लगातार गम्भीरतापूर्वक प्रयास करते हुए उक्त गायब/खोए हुए 71 अदद मोबाइलफोन को बरामद किया गया था जिसको आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में पुलिस लाइन परिसर में मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

इस क्रम में थाना कोतवाली अन्तर्गत 13 मोबाइलफोन, थाना सरायलखंसी अन्तर्गत 19 मोबाइलफोन, थाना दक्षिणटोला अन्तर्गत 04 मोबाइलफोन, थाना घोसी अन्तर्गत 07 मोबाइलफोन, थाना कोपागंज अन्तर्गत 04 मोबाइलफोन, थाना दोहरीघाट अन्तर्गत 02 मोबाइलफोन, थाना मधुबन अन्तर्गत 04 मोबाइलफोन, थाना रामपुर अन्तर्गत 01 मोबाइलफोन, थाना हलधरपुर अन्तर्गत 05 मोबाइलफोन, थाना मुहम्मदाबाद अन्तर्गत 03 मोबाइलफोन, तथा थाना रानीपुर अन्तर्गत 09 मोबाइलफोन मोबाइल स्वामियों को उनके गायब/खोए हुए फोन सुपुर्द किये गये।

मोबाइल फोन गायब होने पर तत्काल क्या करेः-

किसी का मोबाइल कही खो जाता है या गायब हो जाता है तो तुरन्त अपने ऑपरेटर से बात कर गायब हुई मोबाइल के सिम कार्ड को ब्लाक कर नया सिम प्राप्त कर लें। चोरी या खोए हुए मोबाइलफोन का आजकल अपराध में प्रयोग किया जा रहा है जैसे किसी को धमकी देना, या सिम बैक से लिंक है तो आपके साथ फाइनेंन्सियल फ्राड होने की सम्भावना काफी हद तक बढ जाती है या आपकी सिम सोशल मीडिया से लिंक है तो उसको हैक कर सोशल मीडिया भी दुरूपयोग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आप यूपी कॉप एप पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है या आप अपने जनपद सम्बन्धित थाने पर सम्पर्क कर सकते है।

आप भारत सरकार के सीईआइआर पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते है जिससे आप के आईएमईआई नम्बर को ब्लाक कर दिया जाता है और आपके मोबाइल फोन को ट्रैकिंग पर लगा दिया जाता है। उक्त पोर्टल का लिंक https://www.ceir.gov.in है।

बरामदकर्ता साइबर क्राइम थाना टीम-

1. उ0नि0 सुनील मलिक,
2. मु0आ0 शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया
3. आरक्षी शशीकान्त मणि त्रिपाठी,
4. आरक्षी अनूप यादव,
5. आरक्षी प्रभात कुशवाहा,
6. महिला आरक्षी वन्दना पाण्डेय

एक अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 22,500 रुपये, मोबाइलफोन के साथ घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/स्वाट/सर्विलांस एवं थाना हलधरपुर पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 13.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पं दीन दयाल उपाध्याय माडल इण्टर कॉलेज अइलख के पास से अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र कवीन्द्रनाथ मिश्रा निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया के कब्जे से चोरी के 22500 रुपये, चोरी की एक मोबाइल सैमसन्ग किपैड तथा एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर(फर्जी नम्बर प्लेट) को बरामद किया गया। जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411,414,420,467,471 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सत्येन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र कवीन्द्रनाथ मिश्रा निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

बरामदगी-

01. चोरी के 22500 रुपये।
02. चोरी की एक मोबाइल सैमसन्ग किपैड।
03. एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर(फर्जी नम्बर प्लेट)

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

उ0नि0 रामअवध, का0 दीलीप पाल, का0 गोविन्द पाल, थाना हलधरपुर।

उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, हे0का0 निरज शर्मा, हे0का0 सुशील कुमार यादव, हे0का0 लायक हुसैन, का0 कमलेश ठाकुर, का0 विराट पटेल, का0 रोहित सिंह. का0 आदर्श मिश्रा, का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, का0 अविनाश धर दुबे, का0 पंकज यादव, का0 अनुदेशदत्त बनौधा, का0 ऋषभ द्विवेदी स्वाट/एसओजी टीम।

हे0का0 विवेक सिंह, का0 अश्वनी कुमार गोंड, का0 बृजेश मौर्य सर्विलांस टीम मऊ।

अवैध गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 12.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर खालसा कानून गोयानचक के पास से नन्दु चौरसिया पुत्र रामसरन चौरसिया निवासी खालसा कानून गोयानचक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित तथा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 13.04.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर कोलौरी बाजार में दुर्गा मंदिर के पास से मु0अ0सं0 64/24 धारा 457,354,323,504,506 व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त साहुल यादव पुत्र रामकेवल यादव निवासी कुरंगा थाना दोहरीघाट तथा मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा

वारण्टी अभियुक्तगण श्यामनाथ चौहान पुत्र निर्मल चौहान निवासी जहनियापुर, रिजवान पुत्र मोहम्मद अब्दुल निवासी कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।